भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2351
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

स्थानीय निकायों के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता

†2351. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की आय सृजन और राजकोष में अंशदान के अनुरूप शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को कोई मुआवजा प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषकर तमिलनाडु में सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास और कल्याण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ, राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों के वित्त की स्थिति का आकलन करने और राज्यों, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए जीएसटी और अनुदान सहित करों के बंटवारे की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है। तदनुसार, सरकार ने पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के संपूरण और पंचायतों के साथ-साथ नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक अन्य उपायों के लिए सिफारिशें करने के लिए सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया है।

(ग) भारत सरकार ने स्थानीय शासन निकायों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण और विकास सुनिश्चित करने

के लिएविभिन्न पहलें की हैं।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए प्रमुख पहलों में प्रदर्शन से जुड़ी योजनाएं जैसे 15वें वित्त आयोग के तहत "मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड" और पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना शामिल हैं। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को "मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड" जैसी योजनाओं से भी लाभ हुआ है, जिसके तहत तमिलनाडु के चार मिलियन प्लस शहरी समूहों - कोयंबटूर, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और मदुरै के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक ₹1,264.20 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 15वें वित्त आयोग के आवंटन के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹2,10,862.42 करोड़ का अनुदान देश भर में जारी किया गया है, जिसमें तमिलनाडु के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)के लिए जारी किए गए ₹13,303.50 करोड़ भी शामिल हैं।

*****